तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/1740/2005/सवाईमाधोपुर गोपी बनाम देवीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.08.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अयूब खान, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 18–3–2005 को प्रकरण संख्या 27/05 में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में, उनके द्वारा आदेश 41 नियम 3–ए के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही दिनांक 18–3–2005 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो कि अविधिक आदेश है। अपीलीय न्यायालय को प्रकरण में स्थगन जारी करने से पूर्व हमें विधिवत रुप से सुनवाई का मौका प्रदान करना चाहिए था। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति यही है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है, उसमें अपील को अंतिम रुप से निस्तारित नहीं किया गया है और निगरानीधीन आदेश दिनांक 18–03–2005 अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं है, अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने से इसी आधार पर खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 1740 / 2005 / सवाईमाधोपुर गोपी बनाम देवीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 8-12-2004 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें दिनांक 18-3-2005 को अधीनस्थ न्यायलय की क्रियान्विति को स्थगित किया गया है और प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 18-4-2005 नियत की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीधीन आदेश अंतिम आदेश नहीं हो कर अंतरिम आदेश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीधीन आदेश निर्णित प्रकरण "Case decided" की संज्ञा में नहीं आता है और अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं रहती है। 1995 आर.आर.डी. पेज 492 व 2002 आर.आर.डी. पेज 313 पर माननीय मण्डल द्वारा पुष्ट किया है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक अन्य निर्णयों में तय किया जा चुका है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषण योग्य नहीं है,अतः हस्तगत निगरानी अंतरिम आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने से, ग्राह्यता के स्तर पर ही **खारिज** की जाती है। न्याय हित में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में आगे कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व सर्व प्रथम आदेश 41 नियम 3-ए के प्रावधानों के अनुसरण में मियाद के बिन्दु को तय करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	